

राजस्थान सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर


क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./136/2018/89

दिनांक : 05/02/18

आदेश

एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 21633/2017 विजेश सैनी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 की पालना में निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/प्रयो.सहा./सीधी भर्ती-2013/2017/342 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा श्री विजेश सैनी पुत्र श्री हजारी लाल सैनी को प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई नियुक्ति को प्रत्याहारित किया गया था, के प्रभाव एवं कियान्वयन को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। परिणाम स्वरूप श्री विजेश सैनी पुत्र श्री हजारी लाल सैनी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनू के आदेश क्रमांक 1777 दिनांक 29.12.2015 द्वारा आवंटित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खेतडी(झुन्झुनू) पर प्रयोगशाला सहायक के पद पर यथावत कार्यरत रहेंगे।

यह आदेश पालना के निर्माणांतर रहेंगे




(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर।

क्रमांक:- ई-33/प्रयो.सहा./136/2018/89

दिनांक : 05/02/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, (ग्रुप-3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
3. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाअधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
5. उप. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी(स्वा0)झुन्झुनू एवं केस प्रभारी अधिकारी।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनू।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. श्री विजेश सैनी पुत्र श्री हजारी लाल सैनी निवासी- ग्राम पोस्ट बनाई तह0 खेतडी जिला झुन्झुनू (राज0)।
9. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0, जयपुर